न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00411

1. केसरा आत्मज मडया जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गंगा बाई पुत्री मडया जाति मीणा निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गालाल आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोकुल आत्मज हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
3. जवारा आत्मज हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
4. गिरिराज आत्मज चौथमल जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
5. जगदीश आत्मज हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
6. बरदी लाल आत्मज हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
7. मोहन आत्मज हजारा जाति मीणा निवीस ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
8. प्रताप बाई पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
9. भूला बाई पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
10. मनभर बाई पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
11. बरधी बाई पुत्री हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
12. धुली लाल आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
13. सुवा आत्मज कंवरा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    - 13/1. सुखपाल आत्मज स्व0 सुवा लाल जाति मीणा ।
    - 13/2. गिरिराज आत्मज स्व0 सुवा लाल जाति मीणा ।
    - 13/3. फोरू लाल आत्मज स्व0 सुवा लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. कस्तूरा आत्मज कंवरा जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    - 14/1. श्रीमती कल्याणी बाई पत्नी स्व0 कस्तूरा जाति मीणा ।
    - 14/2. शोराज आत्मज स्व0 कस्तूरा जाति मीणा निवासीगण ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. सौभाग आत्मज छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
16. हीरा आत्मज छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली ।
17. शान्ति लाल आत्मज छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम कोढी ।
18. दुधराम आत्मज छीतर जाति मीणा निवासी कोढी ।
19. सोकरण आत्मज मडया जाति मीणा निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

20. पुष्पा बाई पुत्री मड्या जाति मीणा निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
21. केली बाई पुत्री मड्या जाति मीणा निवासी कालामाल तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
22. तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 12 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोढी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 08 किता की रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी क्रम 1 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 11 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसका पक्षकारान ने हिस्से के अनुसार मौखिक बंटवारा कर रखा एवं मौखिक बंटवारे के अनुसार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन कर अमल दरामद नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाते कायम करावें तथा राजस्व नक्शे में तरमीम करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर बंटवारे में प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाते कायम किया जावें एव राजस्व नक्शे में भी तरीमम की जावे । भूमि कम होने की स्थिति में हिस्से अनुसार कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि में वादीगण को काश्त करने में अवरोध उत्पन्न नहीं करे, कब्जा करने की चेष्टा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 7 व 10 केसरा बाई एवं गंगा बाई अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुए बिना ही निर्णय पारित कर दिया जबकि लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का असवर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.04.2016 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट को यह बताने पर हुई कि दिनांक 25.04.2016 को तहसीलदार हिण्डोली बंटवारा रिपोर्ट बनाने के लिए ग्राम कोढी आयेगे । जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कर दिया और दिनांक 13.04. 2016 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते की है बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । प्रतिवादीगण की तलबी में पत्रावली लम्बित थी और प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना लोक अदालत में दावा वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्टगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन का दावा था और हिस्से के अनुसार विभाजन किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं इंतजार तामील में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गयसा । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादीगण में से कुछ उपस्थित हुए हैं। समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । प्रतिवादीगण कम 07 लगायत 12 की तामील नहीं करवायी गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा